न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 889 / 2018

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थी

1 आईदानराम पुत्र जावता उर्फ जसवन्तसिंह के — 1 तहसीलदार बाड़मेर।

कायम मुकाम :—

1 / 1 करणसिंह पुत्र आईदानसिंह

1 / 2 लक्ष्मणसिंह पुत्र आईदानसिंह

1 / 3 शैतानसिंह पुत्र आईदानसिंह

1 / 4 किशनसिंह पुत्र आईदानसिंह

1 / 5 गणपतसिंह पुत्र आईदानसिंह

1 / 6 गकु पत्नी आईदानसिंह

2 हीरसिंह 3 कमलसिंह 4 भूरसिंह पिसरान अचला 5 फरससिंह 6 गोविन्दसिंह 7 चेनसिंह 8 जगदीशसिंह पिसरान रामसिंह 9 गजादेवी पत्नी रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पिण्डीयों का तला, लंगेरा, तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री सुनिल मेराजा वकील प्रार्थीगण।
2 तहसीलदार बाड़मेर अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 26.11.2019

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिण्डियों का तला पटवार क्षैत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 171 / 1 रकबा 470 / 04 बीघा भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व की स्थित है। उक्त भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा कुबड़माता मन्दिर जाने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल सड़क हेतु भूमि सर्मपण की जिससे खसरा संख्या 175 / 1 व 176 / 1 खेत के दो टूकड़े हो गये, जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने कार्यवाही कर समर्पण आदेश क्रमांक 3127 दिनांक 12.06.2013 को जारी किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 184 भरा गया। पटवारी हल्का ने उक्त तरमीम सही की परन्तु लठ्ठा ट्रेस में नक्शा में गलत रूप से तरमीम कर दी। आवेदन के संलग्न नजरी नक्शा में हरा स्याही से दशाई गई भूमि नामान्तकरण संख्या 184 के पुस्त पर अंकित तरमीम के अनुरूप है। पटवारी हल्का ने लठ्ठा ट्रेस में पेन्सिल से चिन्हित सही तरमीम को छोड़ कर जो सही तरमीम की गई को लाल रंग से वह बिना किसी अधिकार एवं आधार से की गई है। प्रार्थीगण नामान्तकरण संख्या 184 के पुस्त पर अंकित तरमीम के अनुरूप वर्तमान नक्शा में तरमीम शुद्ध करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 आईदानसिंह की दिनांक 26.01.2019 को देहान्त हो गया जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने पत्रांक भू.अ. / 2019 / 5175 दिनांक 14.10.2019 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा पिण्डियों का तला के खसरा संख्या 171 / 1, 175 / 1 व 176 / 1 रकबा क्रमशः 347.13, 121.02 व

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

01.09 बीघा कुल रकबा 470.04 बीघा भूमि में प्रार्थीगण द्वारा सड़क हेतु राज्य सरकार को भूमि समर्पण करने पर पारित नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 16.07.2013 की पुश्त पर अंकित तरमीम से भिन्न तरमीम लठ्ठा ट्रेस में की गई है। तहसीलदार बाडमेर के मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के ट्रेस में प्रदर्शित बरंग हरा की तरमीम राजस्व अभिलेख में करने की अनुशंसा की है।

प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया एवं तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर के मौका प्रतिवेदन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पुष्टी होती है। अतः तहसीलदार बाडमेर के मौका प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित तरमीम नक्शा मौजा पिण्डियों का तला के खसरा संख्या 171/1, 175/1 व 176/1 रकबा क्रमशः 347.13, 121.02 व 01.09 बीघा कुल रकबा 470.04 बीघा भूमि में, जो सलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा से प्रदर्शित तरमीम अनुसार लठ्ठा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26.12.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.01.20 16:42:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: